

छत्तीसगढ़ संवाद
(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19 नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए "स" श्रेणी के मुद्रकों के इम्पेनलमेंट हेतु नियम एवं शर्तें

| क्र. | नियम एवं शर्तें |
|------|---|
| 1 | मुद्रकों को निविदा के साथ सुरक्षा निधि के रूप में "छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर" के नाम से देय "स" श्रेणी के लिये राशि 50000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) एवं निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 590/- (पाँच सौ नब्बे रुपये, वापसी योग्य नहीं) का डिमांड ड्राफ्ट उपलब्ध करना होगा। |
| 2 | "स" श्रेणी के लिये किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित गत वर्ष 2018-19 का कम से कम 5 लाख रुपये का मुद्रण कार्य का टर्न ओवर होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। C.A. द्वारा सत्यापित टर्नओवर प्रमाण पत्र में मुद्रण कार्य से सम्बंधित टर्नओवर का उल्लेख होना अनिवार्य है। |
| 3 | "स" श्रेणी के मुद्रकों को जीएसटी पंजीयन अनिवार्य नहीं है। पैन कार्ड, वित्तीय वर्ष 2018-19 का इनकमटैक्स रिटर्न की प्रतियां प्रस्तुत करना होगा। यदि मुद्रक के पास जीएसटी पंजीयन हो तो प्रमाण पत्र एवं गत के जीएसटी रिटर्न की प्रतियां प्रस्तुत करना होगा। |
| 4 | निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा, एक लिफाफा टेक्निकल बिड तथा दूसरा लिफाफा फाइनैशियल बिड का होगा, टेक्निकल बिड लिफाफा में स्वयं के स्वामित्व के वांछित मशीनों के दस्तावेज़ कि प्रतियाँ चालू हालत में मशीनों का 360 डिग्री में विडिओ जिसमें मुद्रणालय के साथ-साथ चालू प्रक्रिया में मशीन स्पष्ट दिखता हुआ DVD में तथा अमानत राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट, PAN कार्ड गतवर्ष का इनकम टैक्स एवं जीएसटी रिटर्न चालान की प्रतियाँ (जीएसटी पंजीयन हो तो) अन्य दस्तावेज़ तथा दूसरे लिफाफे में फाइनैशियल बिड हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में दूर प्रस्तुत करना होगा। |
| 5 | निविदा द्वारा इम्पेनलमेंट की प्रक्रिया प्राथमिक तौर पर दर निर्धारण के लिए है। |
| 6 | मुद्रकों को निर्धारित निविदा प्रपत्र में वित्तीय दरें छत्तीसगढ़ के वेबसाइट "samvad.cg.nic.in" में ऑनलाइन भरना है एवं दर ऑनलाइन सबमिट करने के बाद प्रिंट निकालकर हार्ड कॉपी फाइनैशियल बिड लिफाफा में निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है। टेक्निकल बिड के सभी वांछित दस्तावेज़ ऑफलाइन टेक्निकल बिड लिफाफा में निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है। |
| 7 | निविदा में प्राप्त दरों के आधार पर न्यूनतम दर निर्धारित कर निर्धारित दरों में कार्य करने में सहमत मुद्रकों को 3 वर्षों के लिए पैनल तैयार किया जाएगा। न्यूनतम दर वाले मुद्रकों को कार्य आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। कार्य के तत्कालिकता एवं आवश्यकता अनुसार समय सीमा में कार्य संपादन हेतु न्यूनतम निर्धारित दरों में पैनल के मुद्रकों से कार्य करवाने का पूर्ण अधिकार अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा। |
| 8 | निविदा के साथ चाहे गए सभी प्रकार के पेपर के नमूने जिसमें गुणवत्ता के प्रमाणीकरण के साथ संस्था की सील लगी हुई हो संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। |
| 9 | लेखन और मुद्रण कागज के गुणवत्ता कम से कम भारतीय मानक IS-1848; 2007 अनुसार होना अनिवार्य है परन्तु Brightness 82 % से अधिक हो या उससे भी उच्च गुणवत्ता हो। |
| 10 | मुद्रित सामग्री के गुणवत्ता, आकार-प्रकार एवं पृष्ठ संख्या में परिवर्तन होने पर न्यूनतम दर से आनुपातिक दर पर गणना की जाएगी एवं गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर अनुपातिक दर के अतिरिक्त न्यूनतम 2 से अधिकतम 10 प्रतिशत तक पेनाल्टी काटी जायेगी। पेनाल्टी तय करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा मुद्रण समय सीमा से विलंब होने पर विलंब अवधि के प्रतिदिन के आधार पर पेनाल्टी काटने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा। |
| 11 | जिन किस्मों के कागजों में मुद्रण हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है उन्हीं किस्मों के कागज मात्रा तथा आकार – प्रकार, (BIS (Bureau of Indian Standards) writing and printing paper specification) एवं निर्धारित समय सीमा में मुद्रण सामग्री प्रदाय करनी होगी। मुद्रक द्वारा बिना लिखित अनुमति के मुद्रण कार्यदिश में उल्लेखित गुणवत्ता में परिवर्तन करने पर छत्तीसगढ़ संवाद मुद्रकों के देयकों का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं होगा। |

| | |
|----|--|
| 12 | मुद्रक द्वारा प्रस्तुत देयक में मुद्रित सामग्रियों की गुणवत्ता, मात्रा एवं दर का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, देयक के साथ मुद्रण सामग्रियों के नमूने की प्रतियों में संबंधित विभाग के प्राप्तकर्ता का नाम, पद नाम एवं कार्यालय का सील लगा हुआ मुद्रित नमूनों की तीन-तीन प्रतियाँ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, आवश्यकता होने पर संबंधित विभाग से या मुद्रक से नमूने की अलग से प्रतियाँ परीक्षण हेतु प्राप्त की जा सकेगी, सेपलिंग के दौरान गुणवत्ता/आकार-प्रकार में कमी पाई जाने पर जो सबसे खराब नमूना होगा, उसी नमूने के आधार पर दर गणना कर देयक सत्यापित किया जायेगा। इस स्थिति में सामग्री एवं देयक को मान्य किया जाना छत्तीसगढ़ संवाद की बाध्याता नहीं होगी। |
| 13 | मुद्रण दरें F.O.R. रायपुर / नवा रायपुर अटल नगर होंगी अर्थात् सुपुर्देगी का स्थल स्थानीय (रायपुर / , नवा रायपुर अटल नगर में) होने की स्थिति में मुद्रकों / एजेंसियों को अलग से किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा, मुद्रकों को मुद्रित सामग्रियों सम्बंधित विभागों/ संस्थाओं को रायपुर / , नवा रायपुर अटल नगर के किसी भी स्थान पर स्थित कार्यालयों/गोडाउन में निर्धारित/ वांछित स्थानों में उपलब्ध कराना अनिवार्य है जिसके लिए न्यूनतम दरो के अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा। |
| 14 | मुद्रक को नियत स्थान तक मुद्रित सामग्री पहुंचाने में पूरी सुरक्षा बरतनी होगी मुद्रित सामग्री में किसी प्रकार की क्षति अथवा कमी पाये जाने की स्थिति में प्रमाणित नुकसान के लिए मुद्रक स्वयं जिम्मेदार होगा। |
| 15 | संवाद द्वारा उपलब्ध कराये गए सीडी / डिजाइन में ही मुद्रण करना होगा तथा मुद्रक को स्वीकृत दर के अलावा अलग से फिल्म प्लेट पेपर, बटर पेपर अन्य खर्च के लिए अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी। अतः निविदा में समस्त व्यय आदि को शामिल कर दर प्रस्तुत करें। जीएसटी से सम्बंधित देयकों में टैक्स का उल्लेख पृथक से करना होगा एवं समय-समय पर मुद्रकों को टैक्स सम्बन्धी रिटर्न एवं चालान की प्रतियाँ अनिवार्यतः छत्तीसगढ़ संवाद में उपलब्ध करना होगा। |
| 16 | समय – सीमा व वांछित गुणवत्ता आकार – प्रकार तथा निर्धारित मात्रा में सामग्रियों का मुद्रण करना अनिवार्य है, अन्यथा कार्यदिश निरस्त कर मुद्रक को एक वर्ष के लिए काली सूची में डाला जा सकता है एवं मुद्रक के जमा अमानत राशि राजसात किया जा सकता है। |
| 17 | छ.ग. शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्व विद्यालय स्वावंतपोषी संस्था द्वारा काली सूची में डाले गये मुद्रक निविदा में भाग नहीं ले सकते। इस सम्बन्ध में मुद्रक को नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ - पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मुद्रक को कहीं भी काली सूची में नहीं डाला गया है। |
| 18 | प्रकाशन सामग्री का मुद्रण कराने वाले विभाग/ शासकीय संस्थान से देयक का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित मुद्रकों के देयकों का भुगतान किया जाएगा, कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। मुद्रकों द्वारा सामग्री आपूर्ति करने के पश्चात् 21 दिवस के भीतर चालान, सत्यापित नमूना के साथ देयक छत्तीसगढ़ संवाद में प्रस्तुत करना होगा। एवं जीएसटी अधिनियम के तहत निर्धारित तिथि के अन्दर मुद्रक को देय जीएसटी का भुगतान सुनिश्चित करना होगा। |
| 19 | छत्तीसगढ़ संवाद को मुद्रकों के मुद्रणालयों का आकास्मिक निरीक्षण करने, मुद्रित सामग्रियों का नमूना लेकर सभी प्रकार की गुणवत्ता परीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा। |
| 20 | निविदा में अंकित दर एवं शर्तों में से किसी भी शर्त को पूर्णतः अथवा अंशतः कार्य की तात्कालिक एवं विशिष्ट परिस्थितियों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शिथिल किया जा सकेगा। |
| 21 | निविदा स्वीकार करने / अस्वीकार करने तथा नियम शर्तों को शिथिल करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा। |
| 22 | मुद्रित सामग्री की गुणवत्ता संबंधी जाँच का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ संवाद को होगा आवश्यकता पड़ने पर संवाद की समिति अथवा मुद्रण कार्य विशेषज्ञ अथवा इस संबंध में शासन द्वारा अधिकृत जाँच एजेंसी / प्रयोगशाला में जाँच कराई जा सकेगी, जिसका व्यय मुद्रक के देयक में काटा जायेगा। |
| 23 | निविदा दरें निविदा अनुमोदन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए मान्य रहेंगी आवश्यकता होने पर निविदा अर्वाध में वृद्धि करने या कम करने अथवा निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा। |
| 24 | निविदा की न्यूनतम दरों के अतिरिक्त शासन द्वारा लागू जीएसटी का पृथक से भुगतान किया जायेगा मुद्रकों को जीएसटी रिटर्न की प्रतियाँ को छत्तीसगढ़ संवाद में उपलब्ध कराना अनिवार्य है अन्यथा अन्य देयकों / जमा अमानत राशि में काटी जाएगी। समय - समय पर निर्धारित प्रारूप में जमा रिटर्न की प्रतियाँ भी जमा करना अनिवार्य है। |

| | |
|----|--|
| 25 | निवेदा प्रपत्र में संलग्न सभी विवरण "स" श्रेणी का है। |
| 26 | मुद्रक द्वारा निवेदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निवेदाकार को उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं। |
| 27 | जो प्रिंट्स प्रस्तावित कार्य के लिए यदि L-1 है और कार्य करने में किसी भी प्रकार की असमर्थता यथा समय सीमा, तकनीकी समस्या या अन्य कोई कारण से जाहिर करता है तो उसे तीन माह तक कोई कार्य नहीं दिया जायेगा, संवाद उस प्रिंटर के L-1 दर पर पैनल के अन्य से भी कार्य कराने के लिए स्वतंत्र होगा। |
| 28 | संवाद द्वारा मुद्रण के लिए प्रदाय की गई मुद्रण सामग्री की सी.डी. / डी.वी.डी. /बटर की गुणवत्ता का अपने स्तर पर परीक्षण एवं गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करना मुद्रक की जिम्मेदारी होगी। |
| 29 | मुद्रित सामग्री की आपूर्ति पश्चात् 21 दिवस तक मुद्रक द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं करने पर मुद्रक को देयक प्राप्त होते तक अन्य कार्य का आंबंटन नहीं किया जायेगा। |
| 30 | मुद्रक द्वारा निवेदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निवेदाकार को उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं। |
| 31 | आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता):- किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेशन-प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। |
| 32 | व्यवहार में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर छत्तीसगढ़ ही होगा। |

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद, अटल नगर
जिला - रायपुर**